डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 249/2018

1. लालचन्द पुत्र सुलतान जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
2. दुनीराम पुत्र सुलतान जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।

–वादीगण

बनाम

1. सुलतान पुत्र मल्लूराम जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
2. साहबराम पुत्र पुत्र सुलतान जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
3. भूरीदेवी पत्नी पुत्र सुलतान जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
4. राकेश पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
5. नेतराम पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
6. रामी पुत्री काशीराम पत्नी सुनिल कुमार जाति नाई निवासी 40 एनडीआर पण्डितावांली तहसील पीलीबंगा।
7. केसर पुत्री काशीराम पत्नी राकेश जाति नाई निवासी 40 एनडीआर पण्डितांवाली तहसील पीलीबंगा।
8. गुलाब पुत्री सुलतान पत्नी लीलूराम जाति नाई निवासी 15–16 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
9. सिलोचना पुत्री सुलतान पत्नी मदनलाल जाति नाई निवासी 15–16 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कंतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज आराजी चक नं. 22 केएनएन के खाता संख्या 110 में अंकित कुल 0.506 है. व चक श्योदानपुरा बारानी के खाता संख्या 39 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की 0.966 है. भूमि तथा चक नं. 22 केएनएन के खाता संख्या 68 में अंकित 14.927 है. भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की 2.132 है. भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को प्रत्येक चक में 1/4–1/4 हिस्सा आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चक नं. 22 केएनएन के खाता संख्या 110 व चक श्योदानपुरा बारानी के खाता संख्या 39 व चक नं. 22 केएनएन के खाता संख्या 68 में से प्रतिवादी संख्या 1 सुलतान का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 27.9.18...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्खत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...27.9.18.....को जारी किया गया।

अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

Scanned by CamScanner